महत्वपूर्ण

संख्या– /86–2018–198/2011टीसी–II

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एंव खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांकः 05 अप्रैल, 2018

विषयः– भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–52(क) के अन्तर्गत कृषिकीय भूमि पर बाढ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने हेतु 03 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने के लिये जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। उक्त प्राविधान के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश शासनादेश संख्या–2883/86–2017–198/2011टीसी–1, दिनांक 02.11.2017 द्वारा निर्गत किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (44वां संशोधन) नियमावली–2017 के नियम–34(1) में यह प्राविधान है कि प्रश्नगत मामले में खनन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने से पूर्व आवेदक खनन योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत करेगा। उक्त प्राविधान के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खनन योजना तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने और उसके परीक्षणोपरान्त कमियों का निराकरण कर स्वीकृत करने में काफी विलम्ब होता है, जिससे अनुज्ञा–पत्र समय से निर्गत नहीं हो पा रहे हैं।

3. उक्त नियमावली के नियम–68 में विशेष मामलों में नियमों को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान है :–

> "68. विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना :– राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना आवश्यक हैं, इस नियमावली में निर्धारित शर्तों ओर प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये किसी खनन पट्टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।"

4. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–68 के अर्न्तगत खनिज विकास के हित में एवं जनसामान्य को बालू/मौरम की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु स्थानीय स्तर से प्रक्रियात्मक कार्यवाही के त्वरित निस्तारण हेतु नियम–52'क' के अर्न्तगत निर्गत किए जाने वाले खनन अनुज्ञा–पत्र में खनन योजना के अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 के स्थान पर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया खनन योजना के अनुमोदन से सम्बन्धित उक्त प्रतिनिधायन के अनुसार प्रश्नगत मामले में अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–710(1)/86–2018–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 (द्वारा–निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।